दिनांक-24.05.2017 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- संलग्न।

I. कृषि :-

1. रब्बी मौसम 2016-17 के फसल कटनी प्रयोग की सम्पादित अनुसूचियाँ/परिशिष्ट-2 एवं 3 के प्राप्ति की समीक्षा की गई। गेहूँ फसल कटनी प्रयोग का शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया एवं मधेपुरा जिला से अपेक्षित अनुसूचियाँ एवं शेष जिलों से आंशिक अनुसूचियाँ प्राप्त हुई है। मुंगेर जिला की स्थिति सबसे दयनीय है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक-27.05.2017 तक सभी लंबित सम्पादित अनुसूचियाँ निश्चित रूप से निदेशालय को लभ्य करायें अन्यथा उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर दिया जायेगा।

(अनुपालन- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. निदेश दिया गया कि रब्बी मौसम 2016-17 के सभी फसलों के फसल कटनी प्रयोग की शत्-प्रतिशत सम्पादित अनुसूचियाँ/परिशिष्ट-2 एवं 3 तथा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक-27.05.17 तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें। ताकि समय पर उपजदर आकलित कर संबंधित बीमा कम्पनियों को भेजा जा सके।

(अनुपालन- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. रब्बी मौसम 2016-17 के कृषि सांख्यिकी के अन्य प्रतिवेदनों यथा- भूमि उपयोग विवरणी, जिन्सवार, द्रुत जिन्सवार एवं फसल सांख्यिकी सुधार से संबंधित प्रपत्र 1.0, 1.1 एवं 2.0 की मौसमवार लंबित प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि रब्बी मकई की कटनी अभी जारी है अतएव उसके सम्पादित अनुसूचियों के प्रेषण की निर्धारित समय सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया।

(अनुपालन- कृषि प्रभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

5. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत होने की स्थिति में राजस्व ग्राम को इकाई मानकर फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाना है। जिसका उपज दर उक्त राजस्व गाँव के सभी पंचायतों के लिए मान्य है। प्राय: एक ही पंचायत का परिशिष्ट-3 प्रेषित किया जा रहा है फलत: उस राजस्व ग्राम से बने शेष पंचायतों का उपज दर प्रेषित नहीं किया जा सकेगा।

अत: प्रत्येक वैसे राजस्व गाँव से बने सभी पंचायतों का उल्लेख परिशिष्ट-3 में करते हुए(समान आंकड़ा अंकित कर) प्रेषित करना आवश्यक है। परिशिष्ट-2 में भी सभी पंचायत के नाम के कॉलम में सभी पंचायतों का नाम अंकित किया जाय।

(अनुपालन- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

6. **वर्षापात:-** वर्षामापी यंत्र के रखरखाव, अधिष्ठापन एवं उससे वर्षा का ससमय मापन कर प्रतिवेदन 10.00 बजे पूर्वाह्न तक अचूक रूप से ई-मेल/Whatsapp के माध्यम से प्रेषित करने का निदेश दिया गया ताकि IMD एवं अन्य विभाग द्वारा इसका सम्यक् उपयोग किया जा सके। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को मानक के अनुरूप नहीं रहने वाले वर्षामापी यंत्रों को अविलंब मानक के अनुरूप अधिष्ठापित कर लिये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)